संख्या– 134 /VI-I/2008–2 (19)2007–टी.सी.

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खेल अनुभाग

देहरादून दिनांक : 21 मई 2008

विषय :–जिला योजना की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–267XXVII(1)/2008, दिनांक–27/3/2008 एवं शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/मु0स0/2008 दिनांक 24/03/08 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेल विभाग, उत्तराखण्ड के वित्तीय वर्ष 2008–09 के आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2204 एवं 4202 के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में रू0 417.82 लाख (रूपये चार करोड सत्रह लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2204 एवं 4202 के अन्तर्गत रूपये 167.82 लाख (रू0 एक करोड़ सडसठ लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि **संलग्न 'क'** के अनुसार निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बंध में राज्य योजना आयोग के शासनादेश सं0–267/XXVII(1)/2008, दिनांक– 27/3/2008 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3. धनराशि उसी मद में व्ययकी जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4. धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही आहरित किया जायेगा। आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा। धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

6. धनराशि का आहरण परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाय, किसी भी दशा में धनराशि का आहरण परिव्यय एवं बजट व्यवस्था की सीमा से अधिक नहीं किया जायेगा।

7.स्वीकृत की जा रही धनराशि को जनपदवार एवं योजनावार आवंटित परिव्यय अनुसार ही व्यय किया जायेगा। धनराशि व्यय करते समय नियोजन विभाग द्वारा गठित परिव्यय का पूर्ण पालन किया जायेगा। जिला योजना पर व्यय जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जनपद वार मात्राकृत प्लान परिव्यय के अनुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही है धनराशि का दिनांक– 31–3–09 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निदेशालय एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

8.इस सम्बंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 उपर्युक्त अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2204 एवं लेखाशीर्षक 4202के विभिन्न मानक मदों में **संलग्नक–क** के अनुसार आयोजनागत पक्ष के नाम में डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0एस0बल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 124 /VI-I/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु।
3. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9. समस्त जिला क्रीड़ाधिकारी
9. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या–174/VI-I/2008–2 (19) 2007–टी.सी. का संलग्नक 'क'

अनुदान संख्या–11

लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम –102 –खेलकूदस्टेडियम(लघुशीर्षक–108 के स्थान पर)– 9103–क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण–24 वृहद निर्माण कार्य

क. सं.	जनपद	कुल परिव्यय
1.	नैनीताल	
2.	उधमसिहंनगर	42.67
3.	अल्मोड़ा	
4.	पिथौरागढ़	6.00
5.	बागेश्वर	7.00
6.	चम्पावत	12.00
7.	देहरादून	
8.	पौड़ी	
9.	टिहरी	
10.	चमोली	
11.	उत्तरकाशी	
12.	रूद्रप्रयाग	
13.	हरिद्वार	
	योग	67.67

लेखाशीर्षक 2204– खेलकूद तथा युवकसेवा–00–104–खेलकूद–9101–खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन (जिला सेक्टर) –42 अन्य व्यय

क. सं.	जनपद	कुल परिव्यय
1.	नैनीताल	2.25
2.	उधमसिहंनगर	3.38
3.	अल्मोड़ा	3.00
4.	पिथौरागढ़	7.50
5.	बागेश्वर	1.50
6.	चम्पावत	5.00
7.	देहरादून	2.25
8.	पौड़ी	3.00
9.	टिहरी	2.81
10.	चमोली	4.25
11.	उत्तरकाशी	5.25
12.	रूद्रप्रयाग	2.25
13.	हरिद्वार	6.00
	योग	48.44

लेखाशीर्षक 2204– खेलकूद तथा युवकसेवा–00–104–खेलकूद–9102 –खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन (जिला सेक्टर) –42 अन्य व्यय

क.सं.	जनपद	कुल परिव्यय
1.	नैनीताल	4.80
2.	उधमसिहंनगर	3.95
3.	अल्मोड़ा	3.75
4.	पिथौरागढ़	6.00
5.	बागेश्वर	1.50
6.	चम्पावत	6.00
7.	देहरादून	3.75
8.	पौड़ी	3.00
9.	टिहरी	2.81
10.	चमोली	3.25
11.	उत्तरकाशी	5.00
12.	रूदप्रयाग	2.75
13.	हरिद्वार	5.15
	योग	51.71

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव